बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य

बनाम

कामिनी एवं अन्य.

अप्रैल 16, 2007

[सी. के. ठक्कर एवं अल्तमसकबीर, न्यायमुर्ति]

सेवा कानून-नियुक्ति-जिला मत्स्य अधिकारी का पद-अपेक्षित पात्रता योग्यता, बी.एससी. जीव विज्ञान-जीव विज्ञान प्रमुख/मुख्य विषय होना चाहिए-उम्मीदवार जिसके पास बी.एससी. रसायन शास्त्र के साथ प्राणीशास्त्र और वनस्पति विज्ञान रसायन विज्ञान सहायक/वैकल्पिक विषयों के रूप में है, को गलती से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया-उम्मीदवारी हेतु अयोग्य- विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट कि छात्र को किसी विषय में तभी स्नातक कहा जाएगा यदि उसके पास स्नातक स्तर पर उस विषय में ऑनर्स है और ऐसे उम्मीदवार नगण्य अथवा बहुत कम हैं -आयोजित की शुद्धता: विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट कानून के विपरीत या मनमानी नहीं है - चूंकि उम्मीदवार के पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी, इसलिए निरस्तीकरण उचित था - केवल इसलिए कि कुछ नगण्य उम्मीदवारों को गलत तरीके से पात्र माना गया था, उम्मीदवार इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि उसे पात्र माना जाये-समानता का सिद्धांत-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14।

अपीलार्थी-राज्य लोक सेवा आयोग ने जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता अन्य योग्यताओं के साथ बी.एससी. प्राणीशास्त्र थी, प्रथम प्रत्यर्थी जिसके पास बी.एस.सी. (ऑनर्स) रसायन विज्ञान में प्राणीशास्त्र और वनस्पति विज्ञान के साथ, जिसमें रसायन विज्ञान प्रमुख/मुख्य विषय है और प्राणीशास्त्र और वनस्पति

विज्ञान सहायक/वैकल्पिक विषयों के रूप में, पद के लिए आवेदन किया। हालांकि उसके पास बी.एस.सी. जीव विज्ञान, की अपेक्षित योग्यता नहीं थी। अपीलकर्ता ने उसको साक्षात्कार पत्र जारी कर दिया। मार्कशीट की जांच करने पर पता चला कि प्रत्यर्थी प्राणीशास्त्र में डिग्री ऑनर्स नहीं था, और पद के लिए पात्र नहीं था। जब वह साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। प्रत्यर्थी ने एक अभ्यावेदन दिया। अपीलकर्ता ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि केवल उसी उम्मीदवार पर विचार किया जायेगा जिसने स्नातक स्तर पर उस विषय में डिग्री प्राप्त की हो और यदि उसके वह विषय सहायक या अतिरिक्त विषय है तो उसे उस विषय में स्नातक नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार प्रथम प्रत्यर्थी अपात्र होना पाया गया था तथा निरस्तीकरण सही था। प्रथम प्रत्यर्थी ने एक रिट याचिका दायर की जिसे खारिज कर दिया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने लेटर्स पेटेंट अपील की अनुमति दी। अतः वर्तमान अपील है ।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1. विज्ञापन स्पष्ट रूप से स्पष्ट है और बताता है कि उम्मीदवार को बी.एससी. जीव विज्ञान ऑनर्स होना चाहिए। विज्ञापन के अनुसरण में, जो स्पष्ट था, प्रथम प्रत्यर्थी जिला मत्स्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने उक्त पद के लिए आवेदन किया। प्रारंभ में आयोग द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जिसमें उन्हें साक्षात्कार के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था। हालाँकि, यह आयोग की ओर से एक गलती थी। जैसे ही आयोग को यह पता चला कि प्रथम प्रत्यर्थी के पास पद के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं थी और वह पात्र नहीं थी, उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई। जब प्रत्यर्थी द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया कि उसकी उम्मीदवारी रद्द करना उचित नहीं था और आयोग द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार

किया जाना चाहिए, तो आयोग ने उसकी शिकायत पर गौर करना उचित समझा और एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। [पैरा 7]

1.2. शिक्षा के क्षेत्र में कोई विधि न्यायालय विशेषज्ञ के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इसलिए, आम तौर पर, किसी छात्र/उम्मीदवार के पास अपेक्षित योग्यता है या नहीं, यह शिक्षण संस्थानों पर छोड़ देना बेहतर होगा। ऐसा विशेषकर तब होता है जब इसे किसी विशेषज्ञ समिति का समर्थन प्राप्त हो। विशेषज्ञ समिति ने इस मामले पर विचार किया और पाया कि किसी व्यक्ति को उस विषय में ऑनर्स कहा जा सकता है यदि वह स्नातक स्तर पर ऐसे विषय का अध्ययन करता है जिसमें मुख्य विषय में आठ पेपर हों और ना की कोई सहायक विषय हो अथवा वैकल्पिक विषय जिसमें दो पेपर हों। ऐसे निर्णय को मनमाना या अन्यथा आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता। इसे कानून के विपरीत नहीं कहा जा सकता । उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया और आयोग की आपत्ति को सही ठहराया। खण्ड पीठ ने विशेषज्ञ समिति की सुविचारित रिपोर्ट को नजरअंदाज करने और एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द करने में गलती की। [पैरा 7 और 8]

1.3. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपील को अनुमत करते हुए कहा कि 'लिटमस टेस्ट' के आधार पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी को प्रवेश दिया गया था। खण्ड पीठ के अनुसार, यदि प्रत्यर्थी प्रारंभ में विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राणीशास्त्र में नहीं होती तो संस्थान ने उसे उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया होता। खण्ड पीठ ने पाया कि न केवल प्रत्यर्थी को उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, बल्कि उसने शानदार सफलता से उत्तीर्ण किया था। खण्ड पीठ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी के प्रवेश के 'लिटमस टेस्ट' को लागू करने में सही नहीं थी। न्यायालय के समक्ष विवाद यह था कि क्या

प्रथम प्रत्यर्थी जिला मत्स्य अधिकारी, वर्ग II के पद के लिए पात्र थी या नही । जिसके लिए, सही परीक्षण मुंबई संस्थान द्वारा प्रवेश नहीं था। यदि आवश्यक योग्यता जीव विज्ञान के साथ बी.एस.सी. ऑनर्स की थी और यदि प्रत्यर्थी ने रसायन विज्ञान के साथ बी.एस.सी. ऑनर्स पास कर लिया था, तो यह नहीं कहा जा सकता था कि वह आवश्यक शैक्षणिक योग्यता वाले पद के लिए पात्र थी। इसलिए, उसे पात्र न मानकर आयोग ने अवैधता नहीं की थी। [पैरा 8]

मैसूर विश्वविद्यालय बनाम गोविंदा राव, [1964] 4 एससीआर 576; एआईआर (1965) एससी 591, संदर्भित ।

2.1. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने लेटर्स पेटेंट अपील को इस आधार पर अनुमति नहीं दी थी कि वर्ष 1993 में दो समान स्थिति वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, हालांकि उनके पास समान योग्यताएं थीं। अन्यथा भी, अपीलकर्ता-आयोग यह प्रस्तुत करने में सही था कि वह मामलें 1993 में अतीत से संबंधित मामले थे। उन्होंने आगे कहा कि विज्ञापन 1999 में जारी किया गया था, कई अन्य उम्मीदवार जिन्होंने बी.एससी. (ऑनर्स) में मुख्य विषय जीव विज्ञान की डिग्री प्राप्त नहीं की थी, जिन्होने आवेदन किया था और उन सभी को अयोग्य माना गया तथा साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। [पैरा 9] [188-जी-एच]

2.2. यद्यपि 1993 में, कुछ अयोग्य उम्मीदवारों को गलती से पात्र मान लिया गया था, पहली प्रत्यर्थी इस बात पर जोर नहीं दे सकती कि उसे अयोग्य होते हुए भी योग्य माना जाना चाहिए । इस तरह की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड को जन्म नहीं दे सकती है। एक मामले में कानून के प्रावधान का गलत निर्माण समानता के सिद्धांत के आधार पर अन्य मामलों में इसी तरह के गलत निर्माण को जन्म नहीं देता है। तथाकथित 'समानता का सिद्धांत' किसी अवैधता को

शाश्वत रखने की अनुमति नहीं दे देता है। यह अनुच्छेद 14 का दायरा नहीं है। [पैरा 10] [189-ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1970/2007

एल.पी.ए. संख्या 381/2003 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 13.05.2003 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से लक्ष्मी रमन सिंह, नीलम सिंह और चंद्र प्रकाश।

प्रत्यर्थी की ओर से विश्वजीत सिंह, गोपाल सिंह, मोहित साहा एवं अनुकूल राज

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा

सी.के. ठक्कर, न्यायमुर्ति

1. इजाजत दी गयी।

2. यह अपील 13 मई, 2003 को लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 381/2003 में पटना उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई है। उक्त फैसले के द्वारा, खण्ड पीठ ने प्रत्यर्थी-मूल याचिकाकर्ता की दायर अपील को स्वीकार कर लिया तथा सीडब्ल्यूजेसी नंबर 12618/2002 में 1 अप्रैल 2003 के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया।

3. बिहार लोक सेवा आयोग ('संक्षेप में आयोग) द्वारा वर्तमान अपील दायर करने के लिए आवश्यक तथ्य यह हैं कि पहली प्रत्यर्थी कुमारी कामिनी ने 1989 में बिहार राज्य के तिलका मांघी भागलपुर विश्वविद्यालय से बी.एससी. (ऑनर्स) प्राणीशास्त्र और वनस्पति विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान में वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बीएससी में उसका प्रमुख/मुख्य विषय रसायन विज्ञान के साथ-साथ प्राणीशास्त्र और वनस्पति विज्ञान सहायक/वैकल्पिक विषय थे। आयोग द्वारा 21 दिसंबर, 1999 को एक

विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें बिहार मत्स्य सेवा वर्ग में 6500-10500/- रुपये के वेतनमान में जिला मत्स्य अधिकारी-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उसमें कहा गया था कि उम्मीदवार के पास बीएससी जीव विज्ञान की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई से फिशरीज साइंस में दो साल का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिशरीज साइंस (बी.एफ.एस.सी.) में स्नातक डिग्री या एम.एससी. प्राणीशास्त्र (अंतर्देशीय मत्स्य पालन प्रशासन और प्रबंधन) केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुंबई से होना चाहिए। हालाँकि प्रथम प्रत्यर्थी पात्र नहीं थी क्योंकि उसके पास बी.एससी.-जीव विज्ञान की अपेक्षित योग्यता नहीं थी, अनजाने में, आयोग द्वारा 17 अक्टूबर 2002 को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें उसे 5-6 नवंबर, 2002 को साक्षात्कार बोर्ड के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया था। मार्कशीट की सुक्ष्म परीक्षण करने पर, यह पाया गया कि उसके पास प्राणीशास्त्र में डिग्री ऑनर्स नहीं था और पद के लिए पात्र नहीं पायी गयी। 5 नवंबर, 2002 को, जब वह साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई, तो उसे सूचित किया गया कि उसके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी और उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई थी। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी निरस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 6 नवंबर, 2002 को आयोग के अध्यक्ष को एक अभ्यावेदन दिया। चूँकि इस प्रकृति के कुछ मामले थे, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था कि क्या एक छात्र को प्राणीशास्त्र विषय में स्नातक कहा जा सकता है यदि उसने सहायक/वैकल्पिक विषय के रूप में प्राणीशास्त्र के साथ डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की है ना की मुख्य विषय के रूप में। कमेटी ने 24 नवंबर 2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, एक छात्र को उस विषय में स्नातक माना जाएगा यदि उसने

स्नातक स्तर पर उस विषय में डिग्री प्राप्त की है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार पहला प्रत्यर्थी अयोग्य पाया गया। इसलिए उसका निरस्तीकरण उचित ठहराया गया।

4. प्रथम प्रत्यर्थी विशेषज्ञ बी समिति की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी और उसने पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके उक्त निर्णय को चुनौती दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी लेकिन लेटर्स पेटेंट अपील को उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी। आयोग ने खण्ड पीठ के उक्त फैसले को चुनौती दी है ।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ अपील की अनुमति देने और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की अनदेखी करने में पूरी तरह से गलत थी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्यथा भी, आयोग की कार्रवाई को अवैध या कानून के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। जबकि अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता बी.एससी. जीव विज्ञान थी तो ऐसे व्यक्ति को बीएससी प्राणीशास्त्र को प्रमुख/मुख्य विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए ना की सहायक या वैकल्पिक विषय के रूप में । माना कि, प्रथम प्रत्यर्थी ने बी.एससी. मुख्य विषय के रूप में रसायन विज्ञान और वैकल्पिक/सहायक विषय के रूप में प्राणीशास्त्र के साथ उत्तीर्ण किया था। इसलिए, उसे योग्य नहीं ठहराया जा सकता और आयोग की कार्यवाही विधि के अनुरूप थी, विधिक और उचित थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम प्रत्यर्थी से अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद, आयोग ने प्रथम प्रत्यर्थी की शिकायत पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और यहां तक कि विशेषज्ञ समिति ने भी राय दी कि उसकी राय में यानी समिति की राय में, एक छात्र यदि उसके पास स्नातक स्तर पर उस विषय में ऑनर्स है तो उसे उस विषय में स्नातक कहा जाएगा। यदि विषय सहायक या अतिरिक्त विषय है, तो उसे उस विषय में स्नातक नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्नातक स्तर पर एक ऑनर्स छात्र उस विषय में आठ पेपर पढ़ता है जबकि वह सहायक विषय

में केवल दो पेपर पढ़ता है। रिपोर्ट के अनुसार उचित कार्यवाही की गई। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश विश्वविद्यालय के इस तर्क को बरकरार रखने में पूरी तरह से सही थे कि प्रथम प्रत्यर्थी को बी.एससी. जीव विज्ञान ऑनर्स नहीं कहा जा सकता। याचिका खारिज कर दी। खण्ड पीठ ने उक्त आदेश को रद्द करने में गलती की, जो हस्तक्षेप के योग्य है।

6. दूसरी ओर, प्रथम प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पहला प्रत्यर्थी योग्य थी और उसके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता थी। यह उसकी योग्यता के कारण ही उसने जिला मत्स्य पालन अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया था। यहां तक कि आयोग भी उसकी योग्यता से संतुष्ट था और उसे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि खण्ड पीठ यह देखने में सही थी कि प्रथम प्रत्यर्थी को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई द्वारा प्रवेश दिया गया था। यदि प्रथम प्रत्यर्थी के पास प्राणीशास्त्र के साथ बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री नहीं होती, तो संस्थान ने उसे प्रवेश नहीं दिया होता। इसलिए, यह स्पष्ट था कि प्रथम प्रत्यर्थी को बी.एस.सी. प्राणीशास्त्र माना गया था। उसने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई में आवेदन किया, उन्हें संस्थान में दाखिला मिला और उन्होंने पाठ्यक्रम भी पास कर लिया। प्रथम प्रत्यर्थी (मूल याचिकाकर्ता) द्वारा इस न्यायालय में दायर जवाबी हलफनामे में यह भी दावा किया गया था कि दो समान स्थिति वाले व्यक्तियों, अर्थात्, (i) जय प्रकाश, और (ii) शैलेन्द्र कुमार को वर्ष 1993 में नियुक्त किया गया था, हालांकि उनकी योग्यता समान थी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि खण्ड पीठ आवश्यक निर्देश जारी करने में सही थी और अपील खारिज की जानी चाहिए।

7. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारी राय में, अपील स्वीकार की जानी चाहिए। विज्ञापन स्पष्ट रूप से स्पष्ट है और बताता है कि उम्मीदवार

को बी.एस.सी. जीव विज्ञान ऑनर्स होना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने बी.एससी. प्रथम श्रेणी के साथ डिग्री प्राप्त किया है। लेकिन उनका मुख्य विषय रसायन विज्ञान था जिसमें 800 अंकों के आठ पेपर थे और रसायन विज्ञान के अलावा, उनके पास प्राणीशास्त्र और वनस्पति विज्ञान के दो पेपर थे। विज्ञापन के अनुसरण में, जो स्पष्ट था, प्रथम प्रत्यर्थी जिला मत्स्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने उक्त पद के लिए आवेदन किया. यह सच है कि प्रारंभ में आयोग द्वारा 17 अक्टूबर 2002 को उसको साक्षात्कार के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिये पत्र जारी किया गया था। हालाँकि, यह आयोग की ओर से एक गलती थी। जैसे ही अपीलकर्ता-आयोग को पता चला कि प्रथम प्रत्यर्थी के पास पद के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं थी और वह पात्र नहीं थी, उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई। जब पहली प्रत्यर्थी द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया कि उसकी उम्मीदवारी रद्द करना उचित नहीं था और आयोग द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तो आयोग ने उसकी शिकायत पर गौर करना उचित समझा और एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। विशेषज्ञ समिति ने प्रश्न पर विचार किया और 24 नवंबर, 2002 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया कि उसकी 'सुविचारित राय' में, एक छात्र को उस विषय में स्नातक तभी कहा जाएगा जब उसके पास स्नातक स्तर पर उस विषय में ऑनर्स हो। अर्थात वही उसका मुख्य विषय होना चाहिए। हमारी राय में इस तरह के फैसले को कानून के विपरीत नहीं कहा जा सकता।

8. फिर, यह सुस्थापित है कि शिक्षा के क्षेत्र में, विधि न्यायालय एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य नहीं कर सकते। इसलिए, सामान्यतः किसी छात्र/उम्मीदवार के पास अपेक्षित योग्यता है या नहीं, इसे शैक्षणिक संस्थानों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। मैसूर विश्वविद्यालय बनाम गोविंदा राव, [1964] 4 एससीआर 576: एआईआर (1965) एससी 591। यह विशेष रूप से तब होता है जब यह एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समर्थित है।

विशेषज्ञ समिति ने इस मामले पर विचार किया और पाया कि किसी व्यक्ति को उस विषय में ऑनर्स कहा जा सकता है यदि वह स्नातक स्तर पर ऐसे विषय का मुख्य विषय के रूप में अध्ययन करता है, जिसमें मुख्य विषय के आठ पेपर होते हैं, न कि सहायक, वैकल्पिक या दो पेपर वाले अतिरिक्त विषय के रूप में। ऐसे निर्णय को हमारे निर्णय में निरंकुश या आक्षेपपूर्ण नहीं कहे जा सकते। इसलिए, हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए याचिका को खारिज कर दिया और आयोग की आपत्ति को बरकरार रखा। खण्ड पीठ ने विशेषज्ञ समिति की सुविचारित रिपोर्ट को नजरअंदाज करने और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द करने में गलती की थी। खण्ड पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि 'लिटमस टेस्ट' सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी को प्रवेश दिया गया था। खण्ड पीठ के अनुसार, यदि प्रथम प्रत्यर्थी के पास जीव विज्ञान के साथ बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री नहीं होती, तो संस्थान ने उसे उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया होता। खण्ड पीठ ने पाया कि न केवल पहली प्रत्यर्थी को उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, बल्कि उसने इसे "शानदार सफलता" के साथ उत्तीर्ण किया था। हमारी राय में, खण्ड पीठ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी के प्रवेश के लिए 'लिटमस टेस्ट' लागू करने में सही नहीं थी। न्यायालय के समक्ष विवाद यह था कि क्या प्रथम प्रत्यर्थी जिला मत्स्य अधिकारी, वर्ग II के पद के लिए पात्र थी। जिसके लिये सही परीक्षण मुंबई संस्थान द्वारा प्रवेश दिया जाना नहीं था। यदि आवश्यक योग्यता बी.एससी. जीव विज्ञान में ऑनर्स की थी तथा यदि प्रथम प्रत्यर्थी ने बी.एससी. रसायन विज्ञान से ऑनर्स पास कर लिया है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखते हुए इस पद के लिए पात्र थीं। अतः आयोग ने उसे पात्र नहीं मानकर कोई अवैधता नहीं की है।

9. इस न्यायालय के समक्ष अपने जवाबी हलफनामे में पहली प्रत्यर्थी द्वारा उद्धृत दो उदाहरणों के संबंध में, यह कहना पर्याप्त है कि लेटर्स पेटेंट अपील को उस आधार पर उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। अन्यथा भी, अपीलकर्ता-आयोग के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना सही है कि अतीत के मामले 1993 से संबंधित हैं। उन्होंने आगे कहा कि विज्ञापन 1999 में जारी किया गया था, कई अन्य उम्मीदवार जिन्होंने बी.एससी.(ऑनर्स) के लिए मुख्य विषय जीव विज्ञान के साथ की डिग्री प्राप्त नहीं की थी, आवेदन किया था और उन सभी को अपात्र माना गया तथा उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया।

10. हमारी राय में, आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क अच्छी तरह से स्थापित है जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः, भले ही 1993 में, कुछ अयोग्य उम्मीदवारों को गलत तरीके से पात्र माना गया था, लेकिन प्रथम प्रत्यर्थी इस बात पर जोर नहीं दे सकती कि उसे भी अयोग्य होते हुए योग्य माना जाना चाहिए। हमारी सुविचारित राय में, इस तरह की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड को प्रभावित नहीं कर सकती है। यह भली भांति सुस्थापित है जिसे किसी अन्य प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है वह यह कि एक मामले में कानून के प्रावधान का गलत निर्माण समानता के सिद्धांत के आधार पर अन्य मामलों में इसी तरह के गलत निर्माण को जन्म नहीं देता है। तथाकथित 'समानता सिद्धांत' के तहत किसी अवैधता को शाश्वत रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह अनुच्छेद 14 का व्यापक अर्थ नहीं है। इसलिए, इस तर्क से भी हम सहमत नहीं है।

11. उपरोक्त कारणों से, अपील स्वीकार करने योग्य है और तदनुसार स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुये विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बहाल किया जाता है और प्रथम प्रत्यर्थी

-मूल याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका खारिज की जाती है, हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

एन.जे. अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रीति व्यास (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।